न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 36/2021 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2021/46

1. गिरधारीलाल पुत्र खेतपाल जाति जाट साकिन नेतेवाला तहसील श्री गंगानगर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत नेतेवाला जरिये सरपंच–सचिव तहसील श्रीगंगानगर।

– रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री विजय पारीक अभिभाषक अपीलांट
श्री हरिराम बिश्नोई अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांक 13.01.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 15.04.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– ग्राम पंचायत के चक 2 एचएचआई का खसरा नंबर 63 मुरब्बा नंबर 14 के किला नंबर 11 व 12 व मुरब्बा नंबर 15 के किला नंबर 14, 15, 16 व 17 की कुल 6 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन भट्आ दर्ज रही। उक्त वादगत भूमि का इंतकाल संख्या 46 दिनांक 18.11.1978 द्वारा ग्राम पंचायत के नाम दर्ज करवा लिया गया। अपीलांट ने उक्त इंतकाल संख्या 46 के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर उक्त प्रकरण में निर्णय करते हुए अपीलांट की अपील को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 15.04.2021 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त वादगत भूमि खसरा नंबर 63 मुरब्बा नंबर 14 की 6 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वर्षो से गेरमुमकिन भट्टा दर्ज रही है। उक्त खसरे में ही अपीलांट व उसके परिवार

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

की भूमि खातेदारी स्थित हैं उक्त भूमि जो भट्टा दर्ज है वह अपीलांट के खेत के बीच में पड़ती हैं। वादगत भूमि पर अपीलांट व उसके परिवार का कब्जा काश्त रहा है तथा बीच बीच में बोली पर भी उक्त भूमि अपीलांट व उसके वारिसान लेते रहे है। अवैध रूप से ग्राम पंचायत के नाम से स्वयं सरपंच ने बिना अधिकार के तथा कोई आदेश ना होते हुए पंचायत के नाम इंतकाल दर्ज करवा लिया जो इंतकाल संख्या 46 हुआ है इंतकाल दर्ज करवा लिया जो इंतकाल संख्या 46 हुआ है इंतकाल की प्रति देखी जावे स्पष्ट रूप से अवैध है क्योकि हल्का पटवारी की रिपोर्ट ली ही नही गई तथा कॉलम नं. 13 व 14 खाली पडे है। अवैध रूप से पारित आदेश शून्य है। क्षेत्राधिकार से वाहर जाकर पारित किया गया है। उक्त इंतकाल विवादित प्रकरण था इस कारण ग्राम सरंपच को इंतकाल दर्ज करने का अधिकार नहीं था। राजस्व तहसीलदार को क्षेत्राधिकार था। ग्राम सरपंच ने साजिश करके एक ही दिन में तमाम कार्यवाही को सम्पूर्ण कर दिया, किसी को नोटिस जारी नही किया, सुनवाई नही की, एकतरफा तौर पर पारित कर इंतकाल दर्ज कर दिया गया था। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकार श्री गंगानगर दिनांक 15.04.2021 व गांम सरपंच नेतेवाला द्वारा दर्ज इंतकाल संख्या 46 निरस्त किया जावे या अन्य दादरसी मुफिद अपीलांट को प्रदान की जावें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी वहस में कथन किया है कि उक्त वादगत भूमि खसरा नंवर 63 मुरव्वा नंवर 14 के किला नंवर 11 व 12 एवं मुरव्वा नंवर 15 के किला नंवर 14, 15, 16 व 17 की कुल 6 बीघा भूमि शुरू से ही आराजी राज सरकारी भूमि रही है जिसमें अपीलांट को कोई अधिकार नही है। उक्त भूमि समय—समय निलामी द्वारा अलग अलग व्यक्ति को बोली को छुडवाई है। इस प्रकार अपीलांट का उक्त भूमि से कोई लेना—देना नहीं हैं। अपीलांट ने यह अपील दिनांक 18.11.1978 को राजस्व केम्प लेतेवाला में सहायक जिलाधीश के आदेश के क्रम में दर्ज इंतकाल संख्या 46 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जो कि उक्त अपील मेन्टेनेवल न होने के कारण खारिज योग्य है। सहायक जिलाधीश के आदेश दिनांक 18.11.1978 के आदेश की प्रथत अपील राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर में अपील संख्या 75/2006 से वर्तमान अपीलांट के पुत्र द्वारा सरकारी भूमि की प्रस्तुत की गई जो दिनांक 08.03.2007 को अपील निरस्त कर दी गई व सहायक जिलाधीश श्रीगंगानगर राजस्व कैम्प नेतेवाला का निर्णय यथावत रखा गया। राजस्व अपील अधीकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 08.03.2007 के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेंर में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 23.12.2020 उक्त अपील खारिज करते हुए राजस्व अपील अधिकारी श्री

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गंगानगर का फैसला यथावत रखा गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावें तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय को यथावत रखा जावें।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर अधीनस्थ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.04.2021 द्वारा अपीलांट की अपील को पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किए जाने के आदेश पारित किए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन निर्णय करते हुए अंकित किया कि इंतकाल संख्या 46 सहायक जिलाधीश के आदेश दिनांक 18.11.1978 की पालना में दर्ज किया गया। अपीलांट के पुत्र द्वारा सहायक जिलाधीश के आदेश को राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर एवं राज़स्व मण्डल राजस्थान अजमेर में चुनौति दी गई, जहां अपीलांट की अपील खारिज हो चुकी है और अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील के साथ धारा 96 का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपील अपीलांट की अपील को पोषणीय नहीं होने पर खारिज कर दिया। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश नियमानुसार उचित होने पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझतें है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.04.2021 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर